

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-329/2024 दिनांक 23.11.2024)
***दिनांक-23.11.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

1-थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा चोरी की एक अदद मोटरसाईकिल के साथ तीन शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों कि गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2024 को थाना सेवरहीं पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 382/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेवरहीं कुशीनगर से सम्बन्धित तीन नफर वांछित अभियुक्तगण 1. संदीप निषाद पुत्र सुनेसर निषाद 2. प्रदीप निषाद पुत्र रामचरन निषाद निवासीगण करनपट्टी सरगटिया थाना सेवरहीं कुशीनगर 3. रोहित सिंह पुत्र अमरजीत सिंह नि0 बभनौली बाबू टोला थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर को मय चोरी के एक अदद मोटरसाइकिल(हीरो स्पेण्डर) के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 382/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद हीरो स्पलेण्डर वाहन संख्या-UP57BQ0285

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1-संदीप निषाद पुत्र सुनेसर ग्राम करनपट्टी सरगटिया थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

2-प्रदीप निषाद पुत्र रामचरन निषाद ग्राम करनपट्टी सरगटिया थाना सेवरहीं कुशीनगर

3-रोहित सिंह पुत्र अमरजीत सिंह ग्राम बभनौली बाबू टोला थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1-थानाध्यक्ष श्री प्रकाश राय थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 संदीप वर्मा थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

3- का0 शुभम यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

4- का0 किशन सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

2-हिन्दू युवती को भगाकर धर्मांतरण कराने आदि के मामले में एक महिला व दो पुरुष सहित तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार:-

जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों कि गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2024 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0108/2024 धारा 137(2)/142/87/352/351(2)/61(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित दो अभियुक्त 1. अनवर अली पुत्र नियामत 2. रोजादीन पुत्र नियामत साकिनान बिचपटवा थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर व एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 0108/2024 धारा 137(2)/142/87/352/351(2)/61(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1-अनवर अली पुत्र नियामत साकिन बिचपटवा थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

2-रोजादीन पुत्र नियामत साकिन बिचपटवा थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

3-एक महिला अभियुक्ता

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1-प्र0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

2-व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

3-हे0का0 बाबूलाल यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

4-हे0का0 शिवेन्द्र कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

5-म0का0 प्रीती यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

3-थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न मामलों में कुल 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार:-

जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों कि गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा मु0नं0 271/15 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी राहुल पुत्र सत्यनारायन निवासी फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर, मु0नं0 661/21 धारा 439 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी इन्द्रजीत पुत्र मिर्जा निवासी सुल्तानपुर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर तथा मु0नं0 13182/2022 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी नत्थू यादव पुत्र सत्यनारायन यादव निवासी पटहेरवा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

- 1-मु0नं0 271/15 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 2-मु0नं0 661/21 धारा 439 भादवि0 थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 3-मु0नं0 13182/2022 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 थाना पटहेरवा कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-राहुल पुत्र सत्यनारायन निवासी फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 2-इन्द्रजीत पुत्र मिर्जा निवासी सुल्तानपुर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 3-नत्थू यादव पुत्र सत्यनारायन यादव निवासी पटहेरवा थाना पटहेरवा, कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 श्री मनोज कुमार वर्मा (चौकी प्रभारी फाजिलनगर) थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 3-उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 4-का0 रामप्रवेश यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 5-का0 मुलायम यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

4-थाना कोतवाली पड़रौना पुलिस द्वारा एक अदद अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे

अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2024 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद फायरशुदा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त उपेन्द्र पटेल पुत्र रामाशंकर पटेल साकिन डीही थाना धनहा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 798/2024 धारा 229(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 798/2024 धारा 229(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

उपेन्द्र पटेल पुत्र रामाशंकर पटेल साकिन डीही थाना धनहा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद फायरशुदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
- 2-उ0नि0 श्री रिजवान अहमद थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर ।
- 3-का0 चन्द्र प्रकाश मिश्रा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ।
- 4-का0 ज्ञानप्रकाश सुर्यवंशी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ।
- 5-थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा गौ-तस्करी करने वाले गैंग के 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.11.2024 को गोवंशी पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के अभियुक्तगण 1. कमरोहोदा उर्फ भींगुर पुत्र भरत निवासी महुआपाटन बाजार थाना तरकुलवा जनपद देवरिया 2.अब्बास अंसारी पुत्र मैनुद्दीन अंसारी सा0 जौरा विशुनपुरा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर स्थायी पता ग्राम नरायनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया 3. फिरोज अंसारी पुत्र जाकिर अंसारी साकिन- पहाडपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया के विरुद्ध थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की

कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है। दिनांक 09.03.2024 को मुखविर की सूचना पर अभियुक्तगण कमरोहोदा उर्फ भींगुर,अब्बास अंसारी,फिरोज अंसारी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 02 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 07 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर व व गोवंश को काटने हेतु एक अदद लकड़ी का ठीहा लगभग गोलाकार व एक अदद रस्सी व एक अदद धारदार ठोस लोहे का बांका व गोवंशो को ले जाने हेतु अपराध में प्रयुक्त एक अदद पिकप व 06 अदद गोवंशीय पशुओ को बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 307 भा0द0वि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है । गैंग लीडर कमरोहोदा उर्फ भींगुर पुत्र भरत उपरोक्त नें अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरूद्ध आज थाना स्थानीय पर 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 26 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-115 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-61, व्यक्ति-187
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(10)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-36)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर